

सर्व शिक्षा अभियान

मुख पढ़े सब बढ़ें

(अंग्रेजी माध्यम) प्री प्राइमरी से जूनियर हाईस्कूल तक



प्रेषक,

जिला वैराग शिक्षा अधिकारी,
बलिया।

सेवा में

प्रबन्धक,

नोजा कान्येन्ट स्कूल छिठौनी, मुडियारी
शिक्षा क्षेत्र- मणियर, बलिया।

पत्रांक : ३५६१६८०१-०५ / 2019-20 दिनांक 16-9-2019

विषय : निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा-18 की प्रायोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम-2010 के नियम-15 के उपनियम-(4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

गठोदय,

उपर्युक्त विषयक शारानादेश सं०-419/79-6-2013-18 एस (7)/89 दिनांक 8 मई 2013 के अनुपालन में आपके विद्यालय को कक्षा नर्सरी से कक्षा 8 तक दिनांक 01.07.2015 से दिनांक 30.06.2018 तक इस कार्यालय के पत्रांक /20602-05/2016-17 दिनांक 02.01.2017 द्वारा तीन वर्षों की अवधि के लिए औपचारिक मान्यता सम्प्रेरित किया गया था।

उक्त के सम्बन्ध में आप द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर क्षेत्रीय खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा की गयी जोच एवं संस्तुति के उपरान्त शासन द्वारा निर्गत राजाङ्क सं०-419/79-6-2013-18 एस (7) 79 दिनांक 8 मई 2013 के प्रत्यतर 15 में उत्तिलिखित प्राविधानों के अन्तर्गत एतदद्वारा कक्षा प्री प्राइमरी नर्सरी से कक्षा 8 तक की औपचारिक मान्यता प्रदान की जाती है। उक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के भविष्य में विद्यमान रहने के अधीन होगी।

उपरोक्त भंजूरी निम्नलिखित शर्तों को पूरा किये जाने के अध्यवेतीन है :-

1. मान्यता के लिए स्वीकृति विस्तारणीय नहीं हैं और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 08 के पश्चात मान्यता/सम्बन्धन करने के लिए कोई बाध्यता विवरित नहीं हैं।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपबन्ध-1) और उ००१० निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियमावली 2010 (उपबन्ध-2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा -1 में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 (पञ्चीस) प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर बच्चों और सुविधाविहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेंगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पुरा हों जाने तक उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूर्ति किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियाँ प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपीटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रिनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का स्वतू न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा-15 के उपबन्धों का पालन लरेगा।
 - प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा से केल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
 - किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।
 - प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
 - प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम-25 के अधीन अधिकारियत किये गये अनुसार एक प्रायोग-पत्र दिया जायेगा।
 - अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तता, विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
 - अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा-23 (1) के अधीन यथा अधिकारियत न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। उसका अधिकारियत पालन किया जायेगा।

६. अध्यापक अधिकारी को दारा-२४ (१) के अधीन विभिन्न आने कर्तव्यों का पालन करता है।

७. अध्यापक समर्पित प्राधिकारी हाथ निर्धारित पाठ्यचयां के आधार पर पाठ्यक्रम का अनुसरण करेगा।
८. विद्यालय अधिनियम की धारा-१९ में यथा विभिन्निष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाए रखेगा। अधिकारी निरीकाण के समय रिपोर्ट जी गयी प्रस्तुविधाएं लिङ्गनुसार हैं:-

९. विद्यालय परिसर का शब्दावल : 32639.88 दर्या कृष्ण
१०. कुल निर्भित दौरा : 7229.046 दर्या कृष्ण
११. क्रीड़ा स्कूल का क्षेत्रफल : 25410.534 वर्ग कृष्ण

१२. कक्षाओं की संख्या :

१३. प्राच्यानन्द सह कार्यालय - - - -

१४. सह-प्राच्यानन्द के लिए कक्ष - - - १. संपत्ति है।

१५. बालक और यात्रिकालों के हिए पृथक शैक्षालय-उपलब्ध है।

१६. पैदल उपलब्ध है।

१७. गोड़-हे-गिल पकाने के लिए उमोई-उपलब्ध है।

१८. जाधा रहित पांडु-सुनिवित की गयी है।

१९. अध्यापक पाठ्यन सामग्री/क्रीड़ा स्कूल कृष्ण प्राच्यानन्द उपलब्ध की उपलब्धता-कृश्चारण नहीं घटायेगी।

२०. विद्यालय अवन्न या अन्य संसदानामों या क्रोड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोगानन्मों के लिए किया जायेगा।

२१. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860(1860 का 21) में अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्त्वमय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्याय द्वारा घटाया जा रहा है।

२२. चक्कल को, किसी व्याकें व्यादियों के सभूह या जनज या किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं बदलाया जा रहा है।

२३. तीसरों को अपरिवेश (आर्टिट) और प्रशाणन लिखि यार्ट एकाउन्टेन्ट हासा लिया जाना आदित और नियमानन्दर प्राप्तिवान लोक दिवाय देयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लोक नियम को एह दिली भ्रित्यकृत्या लेकिन शिक्षा अधिकारी जी को प्रेषित की जानी चाहिए।

२४. अध्यापक विद्यालय को आदेशन प्राप्त होने के संदर्भमें 534/2016 है। कृष्ण द्वारा अवान रखा जाय और इस कार्यालय के सभ्य किसी भी पक्ष व्यवहार के लिए इस संख्यांक उल्लेख करें।

२५. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सुदूरा प्रस्तुत कोरेण जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला वेतिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हों, और समुदित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो साम्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने यो विद्यालय की कार्यकारण की कामियों को दूर करने के लिए जारी किये जायें।

२६. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण नवीनीकरण यहि कोई हो, को सुनिश्चित किया जायें।

२७. विद्यालय प्रबन्धन/न्याय और कर्मचारी वर्ग समय-समय पर जारी किये गये साज्य सरकार के अदेशों का अनुपालन करेगा।

२८. चक्कल उपलब्ध के अनुसार अन्य कोई इन्हे।

दत्तदीप
(मुद्रासु यपा)
सिला वेतिक शिक्षा अधिकारी

पूर्ण व दिनांक उपरोक्तकुशार।
प्रतिलिपि:- जिलाकार अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ पूर्व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

१. आदबलीय सहायक शिक्षा निदेशक (वेतिक) लाजपाड़।
२. जिला समाज कल्याण अधिकारी, कलियाड़।
३. खाली शिक्षा अधिकारी, लोतापुर, बलिया।

(सुखास गुप्ता)
सिला वेतिक शिक्षा अधिकारी
बलिया



प्रेषक,

जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी
बलिया।

सेवा में

✓ प्रयोग्यक

नोजा कान्चेन्ट स्कूल
छित्तीनी मुड़ियारी
जनपद-बलिया।

पत्रांक/ ९५३५

/2022-23

दिनांक ३०-१-२०२३

विषय- मान्यता के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आप अपने पत्र दिनांक 27.01.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करना चाहें, जिसके द्वारा नोजा कान्चेन्ट स्कूल छित्तीनी मुड़ियारी, बलिया को स्थायी मान्यता प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासनादेश सं0-419/79-6-2013-18 एस (7)/89 दिनांक 8 मई 2013 के प्रस्तर-15 में यह उल्लिखित है कि सर्वप्रथम विद्यालय को तीन वर्ष के लिए अस्थायी मान्यता प्रदान की जायेगी तथा इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पुरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है।

अतः उक्त शासनादेश के कम में इस कार्यालय के पत्रांक-346/6801-04/2019-20 दिनांक 16. 09.2019 द्वारा नोजा कान्चेन्ट स्कूल छित्तीनी मुड़ियारी, बलिया को मान्यता प्रदान किया गया है।

भववीय

30/1/2023

(मनिराम सिंह)

जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी

✓ बलिया।